भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1505
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत लंबित निधि

1505. श्रीमती माला राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को गत तीन वर्षों से लंबित कोई निधि जारी की गई है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी किया जाना, राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार अनुपालन न किए जाने के कारण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए दिनांक 09.03.2022 से रोक दिया गया था। अतः विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई।

तथापि, राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध तथा तत्पश्चात प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, राज्य में दिनांक 01.06.2026 से योजना का कार्यान्वयन पुनः आरंभ किया गया है और तदनुसार, जून 2026 माह के लिए श्रम बजट स्वीकृत किया गया तथा ₹346.58 करोड़ की राशि की मूल स्वीकृति भी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, राज्य में 01.07.2026 से विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी के कार्यान्वयन पर, वित्त वर्ष 2026-27 (01.07.2026 से 31.03.2027) के लिए ₹8508 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है तथा ₹1264.49 करोड़ की राशि की मूल स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।